

अभिलेख उपस्थापित। स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा कुजू द्वारा श्री/श्रीमति

23.04.18
 के विरुद्ध राशि मो० ~~₹ 0561 = पचास हजार रुपये~~ का मुद्दा
 वसुली हेतु निलाम पत्र वाद दायर किया गया है।

पुर्व में इस कार्यालय के पत्रांक 248 दिनांक 24.02.16, पत्रांक 288 दिनांक 27.06.16, पत्रांक 1097 दिनांक 08.09.16, पत्रांक 1339 दिनांक 24.10.16, पत्रांक 1115 दिनांक 24.08.17 एवं पत्रांक 1245 दिनांक 16.09.17 द्वारा शाखा प्रबंधक कुजू को पंजी IX से X के मिलान हेतु पत्र दिया गया, परन्तु इतने पत्रों के बाद भी उनके द्वारा पंजी IX एवं X के मिलान हेतु कोई कदम नहीं उठाया गया। जिस कारण पंजी IX से X का मिलान नहीं हो पाया। फलस्वरूप यह नहीं पता चल पाया कि बकायेदार पर कितना राशि बकाया है तथा कितना वसूल हो चुका है।

पुनः कार्यालय पत्रांक 11 दिनांक 04.01.18 एवं पत्रांक 45 दिनांक 13.01.18 द्वारा शाखा प्रबंधक को निदेश दिया गया कि निर्धारित तिथि को रजिस्टर IX से X से मिलान करने हेतु अद्योहस्तक्षरी के कार्यालय में उपस्थित नहीं होने पर वादों में प्रथम पक्ष की अभिरुचि नहीं रहने के कारण स्थगित कर दिया जायगा, परन्तु इसके बावजूद भी शाखा प्रबंधक द्वारा कोई अभिरुचि नहीं लिया गया, तथा पंजी IX से X का मिलान नहीं हो पाया। जिसके कारण बकायेदारों की क्या स्थिति है, पता नहीं चल पाता है।

अतः उपरोक्त परिस्थिति में प्रथम पक्ष की अभिरुचि नहीं लेने एवं निलाम पत्र पदाधिकारी द्वारा दिये गये निदेश का उल्लंघन करने तथा वाद का काफी दिनों से लंबित रहने के कारण इस वाद को स्थगित किया जाता है।

इसकी सूचना शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, कुजू, LDM, रामगढ़ तथा मुख्य प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची को दें।

अंचल अधिकारी

माण्डू